बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

पत्रांक–डी0डी0–1–विविध–165 / 35 / 2023 (पार्ट–II) ...... 4995(म) पटना,दिनांकः–.......... 19/6/23

प्रेषक,

राकेश कुमार,
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

सेवा में,

सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल,
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

विषयः– दिनांक–03.06.2023 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के द्वारा संभावित बाढ़, सुखाड़ एवं अन्य आपदाओं की पूर्व तैयारियों के संबंध में समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंगः– संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक–2389, दिनांक–09.06.2023

महाशय,

दिनांक–03.06.2023 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के द्वारा संभावित बाढ़, सुखाड़ एवं अन्य आपदाओं की पूर्व तैयारियों के संबंध में समीक्षात्मक बैठक में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निदेश दिया गया है कि **"बाढ़ आश्रय स्थल के निर्माण कार्य में काफी विलंब हो रहा है। इसके निर्माण कार्य में तेजी लायी जाय तथा शेष सभी कार्य भी शीघ्र पूरे कर लिया जाय।"**

माननीय मुख्यमंत्री के उक्त निदेश के आलोक में निदेश है कि बाढ़ आश्रय स्थल योजनाओं एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अन्य योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

अनु0ः–बैठक की कार्यवाही।

विश्वासभाजन,

16/6/23

(राकेश कुमार),
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– 4995 (म) पटना,दिनांकः...... 19/6/23

प्रतिलिपि–सभी संबंधित मुख्य अभियंता / सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/6/23

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– 4995 (म) दिनांक–............. 19/6/23

प्रतिलिपिः–आई.टी. मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु0ः–बैठक की कार्यवाही।

16/6/23

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

दिनांक–03.06.2023 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के द्वारा संभावित बाढ़, सुखाड़ एवं अन्य आपदाओं की पूर्व तैयारियों के संबंध में सभी संबंधित विभागों एवं प्रमंडलीय आयुक्तों / जिला पदाधिकारियों / वरीय पुलिस अधीक्षकों / पुलिस अधीक्षकों के साथ सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

सर्वप्रथम **सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग** के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्य मंत्री, अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार सरकार तथा माननीय उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, बिहार एवं अन्य सभी उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गयी।

आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा तैयार किए गए बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure for Flood Disaster Management) 2023 का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के द्वारा किया गया।

2. **भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा मौसम पूर्वानुमान**

उप निदेशक, मौसम विज्ञान केन्द्र, पटना के द्वारा बताया गया कि वैश्विक स्तर की मौसमी प्रणाली की स्थिति तथा डायनैमिकल और सांख्यिकीय मॉडल दोनों के आधार पर की गयी। पूर्वानुमान से पता चलता है कि मानसून मौसम की वर्षा माह जून में बिहार राज्य में सामान्य अथवा सामान्य से थोड़ी कम रहने की संभावना है।

यह भी बताया गया कि पहले चरण के मानसून का पूर्वानुमान के अनुसार मानसून के दौरान वर्षा, पूरे देश में दीर्घावधि औसत (एलपीए) का 96% रहने की संभावना है। इसके अतिरिक्त 28 मई, 2023 को जारी किये गये दुसरे चरण के पूर्वानुमान के अनुसार पूरे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु (जून से सितंबर) वर्षा सामान्य दीर्घावधि औसत (एलपीए) का 96 % रहने की संभावना है। इस प्रकार बिहार के संदर्भ में पूर्वानुमान में कोई बदलाव नहीं है। राज्य मे लगभग 952 mm बारिश होने की संभावना है।

साथ ही राज्य के अधिकांश हिस्सों में जून 2023 के दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना व्यक्त की गयी है।

3. **लू (Heatwave) एवं अग्निकांड की समीक्षा**

सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा बताया गया कि वर्तमान में राज्य के अधिकांश भागों में भीषण गर्मी / लू की स्थिति बनी हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक उष्ण लहर चलने की संभावना है। भीषण गर्मी एवं लू से बचाव हेतु समाचार पत्रों एवं टेलिविजन आदि के माध्यम से बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा नियमित तौर पर एडवायजरी जारी किया जा रहा है। सभी जिलों में जिला प्रशासन के

द्वारा प्याऊ की व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन के अतिरिक्त आमजनों/सामाजिक संस्थानों आदि के द्वारा भी प्याऊ की व्यवस्था की गई है।

उनके द्वारा लू से बचाव हेतु संबंधित विभागों द्वारा की जा रही कार्रवाई के बारे में भी बताया गया। पशुओं के लिए कैटल ट्रफ के माध्यम से पानी की व्यवस्था पशु एवं मत्सय संसाधन विभाग के द्वारा की जा रही है। ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा मनरेगा की कार्य अवधि में परिवर्तन किया गया है तथा कार्यस्थल पर पेयजल एवं प्राथमिक उपचार की भी व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा पेयजल संकटग्रस्त क्षेत्रों में टैकरों के माध्यम से जलापूर्ति की व्यवस्था की गयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों पर प्याऊ की व्यवस्था पंचायती राज विभाग के द्वारा की गयी है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्वास्थ्य केन्द्रों में लू लगने की स्थिति पर समूचित उपचार की व्यवस्था की गयी है।

इसके अतिरिक्त उनके द्वारा यह भी बताया गया कि गर्मी बढ़ने के कारण अग्निकांड की घटनाएं भी घटित हो रही है। वर्तमान में राज्य में अग्निकांड की कई घटना प्रतिवेदित हुई हैं। अग्निकांड की घटनाओं में मृत व्यक्तियों के परिजनों को 4.00 लाख रु0 की दर से अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जा चुका है। साथ ही अग्निकांड से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए गृह क्षति अनुदान का भुगतान की कार्रवाई भी तेजी से की जा रही है।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि इस वर्ष गर्मी अधिक होने के कारण सभी प्रकार की तैयारी रखें। लू (Heatwave) से निपटने हेतु प्रचार–प्रसार करें। सभी जिला पदाधिकारी क्षेत्रों में जाकर स्थिति का आकलन करें तथा लोगों को सचेत करें। साथ ही राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने एवं आगलगी की घटनाओं पर विशेष निगरानी रखने का निदेश दिया गया।

अग्नि पीड़ितों को ससमय राहत दिलाने का निदेश सभी जिला पदाधिकारी को दिया गया।

4. **बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा**

सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा संभावित बाढ़ 2023 की पूर्व तैयारियों के संबंध में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जानकारी दी गयी। उनके द्वारा बताया गया कि विभाग एवं सभी जिलों में बाढ़ आपदा प्रबंधन मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप तैयारी की जा रही है। साथ ही, विभाग के द्वारा तैयार किए गए बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) 2023 के बारे में जानकारी दी गयी। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अद्यतन SOP का विमोचन किया गया।

4.1 **बाढ़ पूर्व तैयारियों से संबंधित मुख्य बिन्दु, जिसके संबंध में सचिव द्वारा जानकारी दी गई –**

- संभावित बाढ़ के मद्देनजर सभी जिलों के द्वारा निविदा के माध्यम से बाढ़ राहत एवं अन्य सामग्रियों का दर निर्धारण।

- पॉलीथीन शीट् की उपलब्धता, आवश्यकता का आकलन एवं क्रय।
- बाढ़ के दौरान निजी नावों की व्यवस्था हेतु नावों के भाड़ा का दर निर्धारण एवं निजी नाव मालिकों के साथ एकरारनामा।
- बाढ़ राहत शिविर / सामुदायिक रसोई के संचालन हेतु की जाने वाली व्यवस्थाएँ।
- बाढ़ पूर्व एन0डी0आर0एफ0 / एस0डी0आर0एफ0 टीमों की प्रतिनियुक्ति।
- आनुग्रहिक राहत (GR) के भुगतान हेतु परिवारों की सूची के अद्यतनीकरण की स्थिति।
- मुख्यमंत्री राहत कोष से निर्मित्त किए जा रहे बाढ़ आश्रय स्थलों के निर्माण की स्थिति।
- एस0डी0आर0एफ0 मुख्यालय, बिहटा, पटना के परिसर में स्थायी संरचनाओं का निर्माण की स्थिति।
- एस0डी0आर0एफ0 के आवासन हेतु जिलों में निर्मित्त किए जाने वाले District Emergency Response Facility -cum- Training Centre के निमार्ण कार्य की स्थिति।

4.2 समीक्षा के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निम्नलिखित निदेश दिए गए:–

i. सभी विभागों एवं जिला पदाधिकारियों के द्वारा बाढ़ आपदा से निपटने हेतु सभी तैयारियाँ ससमय पूरी कर ली जाय तथा आपदा प्रबंधन विभाग इसकी सतत् अनुश्रवण करें ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

ii. संभावित बाढ़ की स्थिति में प्रभावितों को हर संभव मदद् को ध्यान में रखते हुए सभी सम्बद्ध विभाग सतर्क रहें ताकि बाढ़ प्रभावितों को किसी प्रकार की समस्या न हो।

iii. यदि अनुग्रह अनुदान, आपूर्तिकर्त्ताओं, नाव मालिक / नाविक का भुगतान लंबित हो, तो शीघ्र ही निस्तारण करें।

5. सुखाड़ की समीक्षा

सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा बताया गया कि इस वर्ष मॉनसून अवधि के दौरान राज्य में सामान्य अथवा सामान्य से कम वर्षापात होने की संभावना है। साथ ही माह जून में सामान्य से कम वर्षापात होने की भी संभावना है। ऐसी परिस्थिति में सुखाड़ से निपटने हेतु भी सभी आवश्यक तैयारी पूरी कर लेने की आवश्यकता है। साथ ही उनके द्वारा संभावित सुखाड़ पूर्व तैयारी हेतु संबंधित विभागों की भूमिका के बारे में बताया गया।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि सुखाड़ की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारी और सभी जिला पदाधिकारी सतर्क रहें। साथ ही क्षेत्र में भ्रमण कर स्थिति का आकलन करें तथा उसके अनुरूप आवश्यक तैयारी कर लें। संबंधित विभाग भी सभी आवश्यक तैयारियाँ करना सुनिश्चित करें।

6. पेय जल की व्यवस्था –

प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ की तैयारियों के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया गया जिसमें पूर्व की बैठक में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संबंधी जानकारी दी गई। उनके द्वारा बताया गया कि राज्य के सभी पंचायतों के भूजल स्तर की स्थिति का निकटतम अनुश्रवण किया जा रहा है। साथ ही पूर्व के वर्षो के अनुभव के आधार पर सतत् पेयजलापूर्ति की व्यवस्था की गई है। सभी जिलों में निर्मित कैटल ट्रफ का भौतिक निरीक्षण कराया जा रहा है तथा क्षतिग्रस्त कैटल ट्रफ की मरम्मति कर उन्हें कार्यरत किया जा रहा है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि सभी जिलों में वाटर टैंकर्स, जलदूत और वाटर एटीएम की पर्याप्त उपलब्धता है जिसके माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। शिकायत निवारण कोषांग एवं टॉल फ्री नम्बर की व्यवस्था की गई है।

उनके द्वारा जिलों में भूजल स्तर की स्थिति के बारे में भी बताया गया। वर्ष 2022 की तुलना में राज्य के 27 जिलों में औसत भूजल स्तर में गिरावट आयी है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि भूजल स्तर के आलोक में संवेदनशील ग्राम पंचायतों को चिन्हित करते हुए लगातार निगरानी की जा रही है। जलापूर्ति योजनाओं की क्रियाशीलता का अनुश्रवण किया जा रहा है। चापाकल मरम्मति अभियान के तहत खराब चापाकलों की मरम्मति की जा रही है।

समीक्षा के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निम्नलिखित निदेश दिए गए:–

i. भूजल स्तर में गिरावट होने पर चिन्ता व्यक्त की गयी एवं भूजल स्तर का सतत् निगरानी करने का निदेश दिया गया।

ii. जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जल संरक्षण को लेकर कार्य किए जा रहे हैं, इसकी निगरानी रखी जाय तथा बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया जाय।

iii. भू–जलस्तर पर नजर रखा जाय तथा पेयजल की व्यवस्था की जाय।

iv. हर घर नल का जल योजना के तहत लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, इसे पूरी तरह मेंटेन रखा जाय।

v. टैंकर के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाय।

vi. विभाग स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित कर क्रियाशील किया जाय।

vii. हर घर नल का जल योजना को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सत्यापनोपरांत हस्तांतरित करने की कार्रवाई की जा रही है। इसे शीघ्र पूरा कर सभी योजनाओं को चालू स्थिति में रखने का निदेश दिया गया।

7. पंचायती राज विभाग–

अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के बारे में बताया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि सभी जिलों में पेयजल की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि कुछ जिलों में योजनाओं का कार्य काफी धीमी/खराब है, उसे शीघ्र पूरा किया जाए तथा योजनाओं का स्थल निरीक्षण कराया जाय। खराब योजनाओं को शीघ्र ठीक कराया जाय। रिपोर्ट की गुणवत्ता पर ध्यान देने का निदेश दिया गया।

8. नगर विकास एवं आवास विभाग–

अपर मुख्य सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा शहरी बाढ़/जल–जमाव से बचाव हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा की जा रही कार्यों की जानकारी दी गयी। उनके द्वारा बताया गया कि नगर निकाय क्षेत्रों में जलनिकासी हेतु सभी बड़े नाले, छोटे नाले, अंडरग्राउण्ड नाले, कैचपिट तथा मेनहोल की सफाई का कार्य कराया गया है।

उनके द्वारा यह भी बताया गया कि पटना नगर निगम अंतर्गत संचालित कुल 56 स्थाई ड्रेनेज पम्पिंग स्टेशन पर विभिन्न प्रकार के कुल 255 पम्प सेट अधिश्ठापित एवं कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त अस्थाई 28 ड्रेनेज पम्प आवश्यकतानुसार ट्रॉली माउन्टेड लगाकर त्वरित जल निकासी हेतु उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही 22 ड्रेनेज पम्पिंग स्टेशन निर्माण कराया जा रहा है, जो मार्च 2024 तक पूर्ण हो जाएगा।

मॉनसून अवधि में संक्रामक रोगों एवं मच्छरों के प्रकोप का खतरा भी बना रहता है। इसके लिए राज्य के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में मॉनसून अवधि में संक्रामक रोगों एवं मच्छरों के प्रकोप से बचाव हेतु जल–जमाव वाले स्थानों एवं नालों आदि में नियमित अंतराल पर ब्लिचिंग पाउडर फॉगिंग/दवा छिड़काव का निदेश भी दिया गया है।

समीक्षा के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा निम्नलिखित निदेश दिए गए:–

- **नगर निकायों के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी को हमेशा अलर्ट रहने का निदेश दिया गया। सभी स्थलों का निरीक्षण वरीय पदाधिकारी को करने का निदेश दिया गया**
- **नगर निकाय क्षेत्रों में जलनिकासी हेतु सभी बड़े नाले, छोटे नाले, अंडरग्राउण्ड नाले, कैचपिट तथा मेनहोल की सफाई एवं खुले मेनहोल को ढकने का कार्य शीघ्र पुरा कर लिया जाय।**
- **आधारभूत संरचना के निर्माण के दौरान निर्मित्त गड्ढों को मॉनसून से पहले भर लिया जाय।**
- **मॉनसून अवधि में संक्रामक रोगों एवं मच्छरों के प्रकोप से बचाव हेतु ब्लिचिंग पाउडर फॉगिंग/दवा छिड़काव नियमित अंतराल पर किया जाय।**
- **शहरी क्षेत्रों में जलजमाव पर विशेष निगरानी का निदेश दिया गया।**

9. कृषि –

प्रधान सचिव, कृषि विभाग के द्वारा संभावित बाढ़ एवं सुखाड पूर्व तैयारी से संबंधित प्रस्तुतिकरण किया गया। उनके द्वारा प्राकृतिक आपदा की स्थिति में कृषकों के लिए कृषि

विभाग के द्वारा आकस्मिक फसल योजना, डीजल अनुदान योजना एवं कृषि इनपुट अनुदान योजना के अन्तर्गत किसानों को सहायता प्रदान करने के संबंध में जानकारी भी दी गयी। साथ ही बताया गया कि यह बताया गया कि खरीफ 2023 हेतु जिलावार आकस्मिक फसल कार्ययोजना का सूत्रण कर लिया गया है। विभाग द्वारा कृषकों के लिए परामर्श, योजनाओं का प्रचार–प्रसार, मौसम संबंधी जानकारी आदि का कार्य भी किया जा रहा है।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि –

- **सुयोग्य कृषकों को डीजल अनुदान वितरण हेतु सभी आवश्यक तैयारी कर ली जाय।**
- **मॉनसून अवधि प्रारम्भ होने के पूर्व सभी आवश्यक तैयारी/कार्रवाई पूर्ण करने का निदेश दिया गया।**
- **संभावित सुखाड़ हेतु भी सभी तैयारियाँ कर ली जाय।**

10. पशु दवाओं एवं पशु चारा की व्यवस्था–

प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ आपदा के दौरान विभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के बारे में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया गया। उनके द्वारा बीमार पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधा, पशु पेयजल की व्यवस्था हेतु कैटल ट्रफ का निर्माण/मरम्मति, पशु चारा की व्यवस्था, विस्थापित पशुओं के लिए पशु शिविर की व्यवस्था तथा मृत पशुओं के लिए साहाय्य अनुदान के भुगतान के बारे में बताया गया। उनके द्वारा बताया गया कि सभी जिलों में प्रचुर मात्रा में आवश्यक दवा उपलब्ध है। साथ ही सभी जिलों में चारा के दर का निर्धारण कर लिया गया है। पशु चारा वितरण को सरल एवं पारदर्शी बनाने हेतु तथा मृत पशुओं के लिए अनुदान भुगतान हेतु विभाग द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) का निर्माण किया गया है।

समीक्षा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि संभावित बाढ़ आपदा से निपटने हेतु सभी तैयारियाँ ससमय पूरी कर ली जाय।

11. जल संसाधन विभाग –

सचिव, जल संसाधन विभाग के द्वारा बृहत सिंचाई योजनाओं यथा सोन नहर प्रणाली, गंडक नहर प्रणाली एवं कोशी नहर प्रणाली में जल उपलब्धता की स्थिति के बारे में बताया गया। साथ ही विभिन्न जलाशयों में जल संचयन क्षमता के बारे में बताया गया। जलाशयों में गाद/बालू भर जाने के कारण जलाशयों के जल ग्रहण क्षमता में कमी हो गयी है। जलाशयों में पानी की कमी के समाधान हेतु विभाग द्वारा किए जा रहे कार्य योजना के बारे में प्रकाश डाला गया।

11.1 **मुख्य बिन्दु, जिसके संबंध में सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा जानकारी दी गई –**

i. संभावित बाढ़ 2023 से संबंधित तैयारियों की स्थिति।
ii. बाढ़ नियंत्रण आदेश मार्गदर्शिका 2023 का प्रकाशन।
iii. बाढ़ संबंधित सूचनाओं के प्रेषण हेतु बाढ़ नियंत्रण कोषांग के अन्तर्गत सहायता केन्द्र (24x7) संचालन।
iv. बाढ़ चेतावनी प्रणाली के माध्यम से सभी संबंधित विभागों एवं जिलाधिकारी को ससमय सूचना।
v. अतिसंवेदनशील स्थलों का चयन।
vi. संभावित बाढ़ की तैयारी हेतु संघर्षात्मक सामग्रियों की विवरणी।
vii. बाढ़ से बचाव हेतु विभिन्न नदियों में कटाव निरोधक कार्य, तटबंधों का ऊँचीकरण, सुदृढ़िकरण एवं पक्कीकरण का कार्य।
viii. कटाव निरोधक/बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य में नई तकनीकी यथा जियो ट्यूबलर मैट्रेस, सीट पाईल का अधिष्ठापन, आर0सी0सी0 परक्यूपाईन आदि का उपयोग।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि सभी आवश्यक तैयारी/कार्रवाई शीघ्र पूरा कर लिया जाय। साथ ही बाढ़ पूर्व तैयारी हेतु जिले में स्थिति का आकलन करने तथा सभी पदाधिकारियों को सतर्क रहने का निदेश दिया गया।

12. **नदियों में गाद/शिल्ट की समस्या एवं निराकरण –**

सचिव, जल संसाधन विभाग के द्वारा यह भी बताया गया कि नदियों में शोल बनने एवं गाद के निराकरण हेतु विभाग द्वारा बाढ़ 2022 के दौरान शोल को हटाकर नदी का रास्ता चौड़ा किया गया। जिससे तटबंध पर दबाव काफी कम रहा। इस वर्ष भी शोल हटाकर बहाव में अवरोध को कम किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नदियों का बेड गाद से भरा है। फलस्वरूप नदी के बहाव धीमा रहता है एवं बाढ़ का प्रभाव अधिक समय तक बना रहता है। इस समस्या से निराकरण हेतु नदियों का निरंतर उड़ाही/खनन आवश्यक है।

माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा निदेश दिया गया कि नदियों की गाद/बालू की उड़ाही एवं शिल्ट हटाने की कार्रवाई में तेजी लायी जाय जिससे बाढ़ का खतरा भी कम रहेगा और नदियों की जल संग्रहण क्षमता भी बढ़ेगी साथ ही सिंचाई कार्य में सुविधा भी होगी। इसके लिए शीघ्र नीति स्वीकृति हेतु लायी जाय।

13. **लघु जल संसाधन विभाग–**

अपर मुख्य सचिव, लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ पूर्व की जा रही तैयारियों के संबंध में जानकारी दी गयी। उनके द्वारा जल–जीवन हरियाली अभियान एवं हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना की अद्यतन स्थिति के बारे में बताया गया। यह भी बताया गया कि निजी नलकूप योजना एवं राजकीय नलकूप योजना के तहत

सभी नलकूपों की मरम्मति करायी जा रही है। हर खेत तक सिंचाई का पानी योजनान्तर्गत सृजित सिंचाई क्षमता 0.64 लाख हेक्टेयर है।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत जल संरक्षण को लेकर कार्य किए जा रहे हैं, इसकी सतत् निगरानी करें और इसे बेहतर ढंग से क्रियान्वित करें। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि खराब सभी नलकूपों की मरम्मति का कार्य शीघ्र पुरा किया जाय।

14. स्वास्थ्य विभाग –

अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बताया गया कि संभावित बाढ़, सुखाड़ एवं लू से उत्पन्न होने वाली बीमारियों के रोकथाम हेतु सभी आवश्यक तैयारियाँ कर ली गयी है। उनके द्वारा अस्थायी स्वास्थ्य शिविरों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता के साथ स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति, चलन्त एवं अस्थायी चिकित्सा दल का गठन, एम्बुलेंस परिचालन व्यवस्था, टीकाकरण, कीटनाशक दवाओं के छिड़काव, आवश्यक दवाईयों का भंडारण के बारे में बताया गया।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि संभावित बाढ़, सुखाड़ एवं लू से उत्पन्न होने वाली बीमारियों के रोकथाम हेतु सभी आवश्यक तैयारियाँ पूरी कर लिया जाय।

15. पथ निर्माण विभाग –

अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग के द्वारा स्थायी पुनर्स्थापन हेतु पर्याप्त मात्रा में निर्माण सामग्री का भंडारण, बाढ़ के दौरान पथों/पुल–पुलियों के त्वरित सुरक्षा हेतु नियमित निरीक्षण की समुचित व्यवस्था तथा विभागीय पथों में अवस्थित पुल–पुलियों की भेंट की सफ़ाई की स्थिति की जानकारी दी गयी।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि सभी आवश्यक तैयारियाँ पूरी कर लिया जाय।

16. ग्रामीण कार्य विभाग –

सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों के पुनर्स्थापन एवं संभावित बाढ़ से संबंधित कार्य योजना के बारे में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया गया। उनके द्वारा बताया गया कि वर्ष 2022–23 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त ग्रामीण पथों में पुनर्स्थापन कार्य करा दिया गया है। साथ ही राज्य के ग्रामीण पथों में अवस्थित क्षतिग्रस्त पुल–पुलियों/पहुँच पथ का भी पुनर्स्थापन कार्य करा दिया गया है।

उनके द्वारा बताया गया कि बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के पथों में निर्मित्त पुल–पुलियों की साफ–सफाई की जा रही है। यह भी बताया गया कि विगत वर्षो के अनुभव के आधार पर क्षतिग्रस्त होने वाले पथों का आकलन कर सामग्री, यंत्र–संयंत्र, मानव बल इत्यादि की

एजेंसी/आपूर्तिकर्त्ता का पैनल बनाकर पथों का पुनर्स्थापन का कार्य सम्पन्न करा लिया जाएगा।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि संभावित बाढ़ को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक तैयारियाँ पूरी कर लिया जाय। सभी पुल–पुलियों के भेन्ट की सफाई सुनिश्चित करायी जाय।

17. भवन निर्माण विभाग –

सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि बाढ़ आश्रय स्थल का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसे मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है। एस0डी0आर0एफ0 मुख्यालय, बिहटा, पटना के परिसर में स्थायी संरचनाओं के निर्माण कार्य तेजी से किए जाने के बारे में बताया गया।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि बाढ़ आश्रय स्थल में काफी विलंब हो रहा है। इसके निर्माण कार्य में तेजी लायी जाय तथा शेष सभी कार्य भी शीघ्र पूरा करें।

18. ऊर्जा विभाग –

प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग के द्वारा बताया गया कि सभी प्रकार की आवश्यक तैयारी कर ली गयी है। साथ ही यह भी बताया गया कि सभी विद्युत आपूर्ति प्रमण्डलों में फ्यूज कॉल सेन्टर कार्यरत है तथा राज्य के सभी विद्युत उपभोक्ताओं के लिए केन्द्रीकृत रूप से टॉल फ्री नम्बर 1912 कार्यरत है जिसकी नियमित समीक्षा मुख्यालय स्तर पर की जाती है। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि सामान्यतः इस मौसम में आँधी–तूफान की घटनाएँ होती है जिसमें लगभग 30 कि०मी० प्रति घंटा की रफ्तार से अधिक आँधी चलने पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से उक्त अवधि में 11 के०वी० फीडरों में विद्युत आपूर्ति बंद कर दी जाती है। वज्रपात की स्थिति से निपटने हेतु सभी शक्ति उपकेन्द्रों में आवश्यकतानुसार लाइटनिंग मास्ट एवं लाइटनिंग अरेस्टर की व्यवस्था की गई है। नदी के कटाव से पूर्व में कई बार संचरण व्यवस्था भी प्रभावित हुई इसके लिए उचित संख्या में इमरजेंसी रिस्टोरेशन सिस्टम (ERS) की व्यवस्था की गई है।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि सभी आवश्यक तैयारियाँ पूरी कर लिया जाय।

19. **अन्त में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा निम्नलिखित निदेश दिए गए –**
   i. **संभावित बाढ़/सुखाड़ को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक तैयारी शीघ्र पूरा कर लिया जाए तथा सभी विभाग के पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी सतर्क रहें।**

ii. जिला पदाधिकारी विभिन्न प्रखंडों/गाँवों में जाकर अपने–अपने जिले में वर्तमा परिस्थितियों का आकलन करें तथा लोगों की यथासंभव सहायता करें।

iii. जिला स्तर से लेकर प्रखण्ड स्तर तक के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ बैठक कर स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त कर ली जाय ताकि कोई भी आपदा आने पर तुरन्त कार्रवाई की जा सके।

iv. बाढ़ आपदा से निपटने हेतु छोटे–छोटे नदियों को आपस में जोड़ने का निदेश दिया गया।

v. बाढ़, सुखाड़ एवं अन्य आपदाओं की स्थिति में राज्य सरकार हर संभव मदद करती है। इस बार बाढ़ एवं सुखाड़ दोनो की संभावना है, इसे ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को सतर्क रहने का निदेश दिया गया।

vi. सरकारी भवनों के अलावा निजी मकानों में वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए लोगों को प्रेरित करने का निदेश दिया गया ताकि जल स्तर बना रहे।

vii. जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत जल संरक्षण कार्य की सतत् निगरानी रखा जाय।

viii. हर घर नल का जल योजनान्तर्गत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, उसे नियमित रखा जाय एवं इसका अनुश्रवण किया जाय।

ix. विगत वर्षो में बाढ़ के दौरान नाविकों/नावों मालिकों के बकाया राशि की भुगतान शीघ्र ही कर दिया जाय।

x. बाढ़ राहत शिविर/सामुदायिक रसोई के संचालन के लिए सभी आवश्यक मूलभुत सुविधाओं की व्यवस्था कर ली जाय।

xi. जिलों में संभावित बाढ़ के पूर्व एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0 टीमों की प्रतिनियुक्ति कर ली जाय।

बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गयी।

ह0/–
(आमिर सुबहानी)
मुख्य सचिव,
बिहार

ज्ञापांक 01/प्रा0आ0 (बाढ)–08/2023/2389/आ0प्र0, पटना–23, दिनांक– 09.06.2023

प्रतिलिपि– सभी जिला पदाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/6/23

(हरि नारायण पासवान)
संयुक्त सचिव

31

ज्ञापांक 01/प्रा0आ0 (बाढ)–08/2023/............/आ0प्र0, पटना–23, दिनांक–

प्रतिलिपिः– समादेष्टा, एन०डी०आर०एफ०/समादेष्टा, एस०डी०आर०एफ०, बिहटा, पटना/ निदेशक, बिहार मौसम सेवा केन्द्र, सरदार पटेल भवन, पटना/ निदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग, अनिशाबाद, फुलवारी शरीफ, पटना/अधीक्षण अभियंता (समन्वय), निचली गंगा बेसिन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग, पटना/निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/6/23

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 01/प्रा0आ0 (बाढ)–08/2023/2389/आ0प्र0, पटना–23, दिनांक–09-06-2023

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/6/23

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 01/प्रा0आ0 (बाढ)–08/2023/2389/आ0प्र0, पटना–23, दिनांक–09-06-2023

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग/पथ निर्माण विभाग/स्वास्थ्य विभाग/वित्त विभाग/खान एवं भूतत्व विभाग/पंचायती राज विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/ऊर्जा विभाग/जल संसाधन विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/भवन निर्माण विभाग/कृषि विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/6/23

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 01/प्रा0आ0 (बाढ)–08/2023/2389/आ0प्र0, पटना–23, दिनांक–09-06-2023

प्रतिलिपिः– पुलिस महानिदेशक/महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा/महानिदेशक, गृह रक्षा वाहिनी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/6/23

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 01/प्रा0आ0 (बाढ)–08/2023/2389/आ0प्र0, पटना–23, दिनांक–09-06-2023

प्रतिलिपिः–सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सरदार पटेल भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/6/23

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 01/प्रा0आ0 (बाढ)--08/2023/2389/आ0प्र0, पटना--23, दिनांक-09-06-2023

प्रतिलिपिः--मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/6/23

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 01/प्रा0आ0 (बाढ)--08/2023/2389/आ0प्र0, पटना--23, दिनांक-09-06-2023

प्रतिलिपिः-- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, वित्त विभाग/पंचायती राज विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/ऊर्जा विभाग/जल संसाधन विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/भवन निर्माण विभाग/कृषि विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ खान एवं भूतत्व विभाग/आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

9/6/23

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 01/प्रा0आ0 (बाढ)--08/2023/2389/आ0प्र0, पटना--23, दिनांक-09-06-2023

प्रतिलिपिः-- माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के आप्त सचिव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

9/6/23

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 01/प्रा0आ0 (बाढ)--08/2023/2389/आ0प्र0, पटना--23, दिनांक-09-06-2023

प्रतिलिपिः-- अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/6/23

संयुक्त सचिव